

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड देहरादून
पत्रांक 325 / विकास कार्य / नि०सू० / 2019-20 दिनांक 26/07/2019

अल्पकालीन कोटेशन सूचना

उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से स्थल 4/1 तिलक रोड देहरादून पर विपक्षीगणो श्रीमती मीनाक्षी पत्नी श्री विवेक मिश्रा, लैन न० 7 काली मन्दिर एन्वलेव जी०एम०एस० रोड देहरादून, श्री दिनेश शर्मा निवासी 4/1, तिलक रोड देहरादून, श्रीमती रेनु तिवारी पत्नी श्री अनुज तिवारी 84 मित्रलोक कालोनी चकराता रोड देहरादून तथा श्री चन्दन आनन्द पुत्र श्री सुभाष आनन्द 126 चकराता रोड देहरादून द्वारा किये गये अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त किये जाने हेतु इस प्रकार के कार्य करने वाली दक्ष एवं अनुभवी फर्मों से निम्न शर्तों के अन्तर्गत दिनांक 6/8/19 को अपराह्न 3.00 बजे तक सील बन्द कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। प्राप्त कोटेशनो को उसी दिन उपस्थित कोटेशनदाताओं एवं प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपराह्न 4.00 बजे खोले जायेंगे। नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त कोटेशनो पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। शर्तें निम्नवत हैं :-

1. सम्बन्धित व्यवित/फर्म को इस प्रकार के ध्वस्तीकरण के कार्यों का अनुभव होना आवश्यक है।
2. प्रश्नगत स्थल दो मंजिला है जिसके केवल भूतल पर स्थित निर्माण को ही तोड़ा जाना है।
3. निर्माण इस प्रकार के कार्यों हेतु दक्ष स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देखरेख में तोड़ा जायेगा। कोटेशन स्वीकृति होने पर स्ट्रक्चर तोड़े जाने से पूर्व स्ट्रक्चरल इंजीनियर की स्थलीय आख्या प्रस्तुत करनी।
4. ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाले उपकरण, लैवर, तकनीकी स्टाफ आदि सम्बन्धित फर्म द्वारा स्वयं उपलब्ध की जायेगी।
5. स्थल एवं निर्माण आदि के सम्बन्ध में अन्य किसी प्रकार की जानकारी किसी भी कार्यदिवस में प्राधिकरण कार्यालय के सम्बन्धित सेक्टर स्टाफ से प्राप्त की जा सकती है।

अधीक्षण अभियन्ता
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

- 1-सचिव, /संयुक्त सचिव म०दे०वि०प्राधि०देहरादून।
- 2-मुख्य लेखाधिकारी म०दे०वि०प्राधिकरण देहरादून।
- 3-सिस्टम एडमिनेस्ट्रेटर को इस आशय से कि विज्ञप्ति को उत्तराखण्ड की बेबसाईट पर अपलोड कराये
- 4-प्राधिकरण कार्यालय/कैम्प कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 5-नगर निगम/लोक निर्माण विभाग/जिला परिषद/सिचाई विभाग के नोटिस बोर्डों पर चस्पा हेतु।
- 6-सम्बन्धित पत्रावली पर संलग्न करने हेतु

अधीक्षण अभियन्ता
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।